सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 04 /2017 अपील आर्म्स
पंजीयन दिनांकः 04–09–2017
निर्णय दिनांकः 12–02–2018

श्री शम्भूसिंह राठौड़ पुत्र श्री मोतीसिंह राठौड़,निवासी फरारा तहसील व जिला राजसमंद, थाना राजनगर (राज.)

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति :–

1. श्री सत्यप्रकाश व्यास – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. श्री योगेन्द्र दशोरा – राज्य अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा– 18 आयुध अधिनियम 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 25.07.2017 जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद

निर्णय

दिनांक 12.02.2018

यह अपील अपीलान्ट ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा–18 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद के आदेश दिनांक 25–07–2017 से असंतुष्ट होकर पेश की गई है।

प्रस्तुत अपीलीय प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है। अपीलान्ट श्री शम्भूसिंह राठौड़, निवासी फरारा तहसील व जिला राजसमंद द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु एन.पी. रिवाल्वर का शस्त्र लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद को दिनांक 25.08.2015 को प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट

राजसमंद द्वारा विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मंगवाई गयी । उसके विरुद्ध कोई अपराध या फौजदारी कार्यवाही न तो चली और न ही विचाराधीन होना रिपोर्टो से स्पष्ट है। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा एन.पी.रिवाल्वर का शस्त्र लाईसेन्स हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 25.07.2017 पारित किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद की पत्रावली मंगवाई गयी। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस सूचित किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 05.02.2018 को सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी का व्यवसाय मार्बल व ग्रेनाईट सम्बन्धी केमीकल एब्रेसिव डाईमण्ड टूल्स गैंगसा/ सर्कलर सेग्मेंट सप्लाई का कार्य होन से उसको अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिये एम.एल.गन (दो नाल टोपीदार बन्दूक) बड़ी बन्दूक हमेशा साथ रखना सम्भव नहीं है। इस कारण ही वह अपनी सुरक्षा के लिये एन.पी. रिवाल्वर जैसा छोटा शस्त्र रखना चाहता है जिससे अपीलार्थी अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सके। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त करने का आदेश प्रदान किया गया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायायल का निर्णय निरस्त किया जावे एवं प्रार्थी अपीलार्थी को एन.पी. लाईसेन्स जारी किये जाने हेतु निर्देश प्रदान करावें।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान निवेदन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, राजसमंद द्वारा अपीलार्थी को शस्त्र–अनुज्ञापत्र जारी करने सम्बन्धित आवेदन पर विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मंगवाई गई। किन्तु रिपोर्ट में कही भी उसके पास एम.एल.गन (दो नाल टोपीदार बन्दूक) लाईसेन्स होने का कारण नहीं बताया गया। और न ही कही भी यह नहीं बताया कि एम.एल.गन (दो नाल टोपीदार बन्दूक) का लाईसेन्स प्रार्थी के पास उपलब्ध है। अपीलार्थी द्वारा जो कारण अपने अपील मेमों में अंकित करके आया है जिसका अंकन प्रार्थी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय राजसमंद में जो आवेदन प्रस्तुत किया था, उसमें भी ऐसा कोई भी ठोस साक्ष्य एवं आधार उक्त आवेदन पत्र में न तो अंकित किये है। और न ही उसको साबित कर पाया है। अपीलार्थी द्वारा जो

कारण बताया गया है कि मुझ स्वयं की सुरक्षा हेतु एन.पी. रिवाल्वर का शस्त्र लाईसेन्स मुझे प्रदान किया जावे, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट, कार्यालय राजसमंद द्वारा सम्पूर्ण कानूनी बिन्दुओं के गुणगुणांक को देखकर उक्त निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत होने अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अवलोकन किया गया। यह तथ्य सही है कि अपीलार्थी के पास पूर्व से ही एम.एल.गन (दो नाल टोपीदार बन्दूक) का लाईसेन्स संख्या 24/2004 उपलब्ध है। परन्तु अपीलार्थी ने नये आवेदन पत्र में इसके अतिरिक्त स्वयं की सुरक्षा हेतु एन.पी. रिवाल्वर का नया शस्त्र लाईसेन्स चाहने हेतु आवेदन जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद को दिनांक 25.08.2015 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी ने यह कहीं पर भी अंकित नहीं किया है कि एम.एल.गन (दो नाल टोपीदार बन्दूक) का लाईसेन्स संख्या 24/2004 की बजाय एन.पी.रिवाल्वर का शस्त्र लाईसेन्स दिलाया जावे। किन्तु अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि हमें पूर्व में जारी एम.एल.गन (दो नाल टोपीदार बन्दूक) का लाईसेन्स संख्या 24/2004 के बजाय एन.पी.रिवाल्वर का शस्त्र लाईसेन्स दिलाया जावे। यदि प्रार्थी पूर्व में जारी एम.एल.गन (दो नाल टोपीदार बन्दूक) का शस्त्र लाईसेन्स संख्या 24/2004 को सरेण्डर करता है तो उसके बजाय एन.पी.रिवाल्वर का शस्त्र लाईसेन्स जारी किया जाना उतिच समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2017 को निरस्त किया जाकर जिला मजिस्ट्रेट राजसमंद को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी/अपीलार्थी पूर्व में जारी शस्त्र लाईसेन्स को सरेण्डर करता है तो उसके बजाय एन.पी.रिवाल्वर का शस्त्र लाईसेन्स नियमानुसार जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर